

समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड
विधवा भरण-पोषण अनुदान(पेंशन का प्रार्थना-पत्र)

समाज कल्याण की वेबसाईट

www.socialwelfare.uk.gov.in

टौल फ्री नम्बर 18001804094

- 1 * आवेदक का नाम श्रीमती
- 2 * पति का नाम श्री
- 3 * स्थायी पता-.....
मोहल्ला/ग्राम.....
पोस्टआफिस-.....
ग्राम पंचायत/वार्ड का नाम.....
न्याय पंचायत विकासखण्ड.....
तहसील..... जनपद.....
- 4 * पति के मृत्यु का दिनांक(मृत्यु प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
- 5 * जाति
- 6 * बी०पी०एल० चयनित परिवार का क्रमांक (खण्ड विकास अधिकारी द्वारा दिया गया बी०पी०एल० प्रमाण-पत्र अथवा तहसीलदार द्वारा दिया गया आय प्रमाण-पत्र).....
(उपरोक्त में से कोई एक प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करें)
- 7 * जन्मतिथि/आयुआवेदक की आयु 18 वर्ष से अधिक हो।
(भाग-दो परिवार रजिस्टर की नकल प्रति या शैक्षिक अभिलेख का प्रमाण-पत्र की प्रति)
- 8 * आवेदक का डाकघर/ई बैंकिंग सुविधायुक्त बैंक शाखा का नाम एवं पता.....
* खातासंख्या
* IFSC Code No
डाकघर/ बैंक शाखा पासबुक के प्रथम पृष्ठ की स्पष्ट फोटो प्रति संलग्न करें।
- 9 * वोटर पहचान पत्र संख्या
- 10 आधार नम्बर
- 11 * स्वयं अथवा निकट संबंधी का मोबाइल नम्बर

नवीनतम फोटो जो ग्राम प्रधान/सदस्य क्षेत्र पंचायत/जिला पंचायत अध्यक्ष/सभासद नगरपालिका/ग्राम विकास अधिकारी(पंचायत) से सत्यापित

आवेदक द्वारा घोषणा-

मैं श्रीमतीघोषणा करती हूँ कि आवेदन-पत्र में उपरोक्त दी गयी सूचना सही हैं। गलत सूचना के आधार पर मेरे द्वारा लाभ प्राप्त करने पर नियमानुसार मुझसे, सरकार द्वारा दिये गये लाभ की वसूली भू-राजस्व की भौति कर ली जाय।

दिनांक..... अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/अंगूठा निशानी
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमतीपति स्व० श्री.....जो ... वर्ष आयु की है, आज ग्राम सभा की खुली बैठक में विधवा पेंशन स्वीकृति हेतु चयन किया।

ग्रामीण क्षेत्र के लिये

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी, के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर, नाम सहित एवं मुहर

शहरी क्षेत्र के लिये

सहायक समाज कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

उप जिलाधिकारी के हस्ताक्षर, नाम एवं मुहर

नोट- * सम्बन्धित कालम अनिवार्य रूप से भरे जाने हैं।

- सम्बन्धित कालम ऐच्छिक/उपलब्धता के आधार रूप से भरे जाने हैं।